IV 84

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भा... DIA

INDIA ... DICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 200921

पूर्वांचल ग्रुप्स ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट

इस विलेख का निष्पादन हम कि उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह ग्राम व पोस्ट- नरौली, तहसील सदर जनपद- जौनपुर उ०प्र० की रहने वाली हूँ।

मेरे मन में बहुत दिनों से यह भावना उठ रही थी कि अपने पूर्वजों की इच्छानुसार ऐसे न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना करूँ जिससे समाज के लोगों का शैक्षिक,मानसिक, बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक एवं आर्थिक उत्थान हो सके और असहाय, दीन-दुखी तथा निर्धन लोगों का भला एवं कल्याण हो सके। इस समय मेरे पास 10,000.00 (दस हजार रूपया मात्र) मौजूद हैं जिसे मैं इस न्यास को अर्पित कर दी हूँ। अतः मैं निष्पादन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार इस न्यास का सृजन कर रही हूँ और उसके लिए यह न्यास का विलेख स्वेच्छा एवं सहर्ष निष्पादित कर रही हूँ कि प्रमाण रहे और समय पर काम आये।

1. यह कि इस न्यास का पूर्ण नाम पूर्वांचल ग्रुप्स ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट होगा।
2. यह कि इस न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा किन्तु इसका मुख्य कार्यालय ग्राम व पोस्ट- नरौली, परगना- हवेली, तहसील-सदर जनपद जौनपुर उ०प्र० में रहेगा।
3. यह कि इस न्यास के न्यासीगण का न्यासी मण्डल न्यूनतम तीन व्यक्तियों का सदैव रहेगा इस न्यास के प्रधान न्यासी हम निष्पादक श्रीमती उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह और

Usha

102

3304 13/57/13

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

नाम ...... उमासिंह ...... पुत्र, पत्नी ...... राजबहादुर सिंह

निवासी ...... परगना ......

[illegible] ...... जौनपुर ...... जिला ...... टाउन [illegible]

राजबहादुर सिंह

ला० सं०—[illegible]

ला० की अवधि ....

रजिस्ट्री आफिस के पास

सिविल कोर्ट जौनपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 JUN 2012

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सुरेश सिंह यादव
उपकोषाधिकारी कोषागार
जौनपुर

BB 200922

उनकी प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट के पदाधिकारियों के सदस्यों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद जिनको ट्रस्ट के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

(1) श्रीमती उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह ग्राम व, पोस्ट नरौली, परगना- हवेली तहसील सदर जनपद- जौनपुर उ०प्र० (अध्यक्ष)

(2) डा० संजीव कुमार सिंह पुत्र स्व० लालता प्रसाद सिंह शाहगंज पड़ाव, सुक्खीपुर, परगना- हवेली, तहसील सदर जनपद-जौनपुर उ०प्र० (सचिव)

(3) श्रीमती सुषमा सिंह पत्नी स्व० आनन्द शंकर शिवाजी सिंह शेखपुर कालोनी, निकट जेल तिराहा परगना- हवेली, तहसील सदर जनपद-जौनपुर उ०प्र० (सदस्य)

(4) अन्य सहायक न्यासीगण बनाये गये हैं, जिन्होंने अपनी लिखित सहमति एवं स्वीकृति दे दिया है।

4. यह कि उपरोक्त न्यास के प्रधान न्यासी मण्डल में हम निष्पादक और उपरोक्त उल्लिखित अन्य दो सहायक न्यासीगण आजीवन न्यासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेंगे और प्रधान न्यासी का सभी कार्य प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी श्रीमती उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह आजीवन रहेंगे और न्यास का सभी कार्य व संचालन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्राविधान के अनुसार निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ होता रहेगा और

3305 13/8/13 100

.... करने का प्रयोजन ....

.... पुत्र/पत्नी ....

.... परगना .... तहसील

3304 ..... जिला

राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला०नं०—58

ला० की अवधि ....

रजिस्ट्री आफिस के सामने

सिविल कोर्ट जौनपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी

28 JUN 2012

जौनपुर

यास पत्र

10,000.00	100.00	20	120.00	800
	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

न्यास की राशि

श्रीमती उषा सिंह

पुत्री श्री राजबहादुर सिंह

व्यवसाय गृहिणी

निवासी स्थायी नरौली पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 13/5/2013 समय 12:21PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

USingh

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
13/5/2013

तसनीम अहमद
नि0 लि0

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्रीमती उषा सिंह
पुत्री श्री राजबहादुर सिंह
पेशा गृहिणी
निवासी नरौली पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

USingh

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह सत्येन्द्र कुमार सिंह

पुत्र श्री स्व0 राममगन सिंह

पेशा व्यापार

निवासी परियावाँ पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

व श्री सुभाष चन्द्र यादव सुभाष चन्द्र यादव

पुत्र श्री स्व0 सीताराम यादव

पेशा व्यापार

निवासी मीरापुर नरौली पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह)
उप निबन्धक (सदर)
जौनपुर
13/5/2013

तसनीम अहमद
नि0 लि0

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

सुरेश सिंह यादव
उपकोषाधिकारी कोषागार
जौनपुर

BB 200923

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

तदनुसार न्यासी मण्डल उपरोक्त शर्तों के अधीन कार्यरत रहेगा।

5. यह कि इस न्यास के प्रधान न्यासी श्रीमती उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह ग्राम व पोस्ट नरौली परगना- हवेली, तहसील सदर जनपद- जौनपुर उ०प्र० का आजीवन प्रधान न्यासी रहेंगे अथवा तब तक प्रधान न्यासी रहेंगे जब तक कि वह अपने प्रधान न्यासी के पद से लिखित त्याग-पत्र न दे दें।

6. यह कि प्रधान न्यासी का कार्य प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी रूकसाना दिन प्रतिदिन के कार्यों को सम्पादित करेंगे।

7. यह कि प्रधान न्यासी को न्यास के लिए न्यासी नामित करने तथा उनका कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. यह कि उपरोक्त न्यासी मण्डल का पूर्ण अधिकार प्रधान न्यासी व प्रथम न्यासी डा० संजीव कुमार सिंह पुत्र स्व० लालता प्रसाद सिंह में सामान्यतया निहित रहेगा।

9. यह कि प्रधान न्यासी को अधिकार होगा कि न्यास मण्डल में न्यासीगण की संख्या बढ़ाकर 11 तक कर सकता है। प्रधान न्यासी को नामित न्यासीगण का कार्यकाल निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. यह कि प्रधान न्यासी को अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल में ही किसी सक्षम,

3306 13/8/13 100

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन

3304

राजनाथ सिंह

ला० नं०—58

ला० की अवधि

रजिस्ट्री आफिस के सामने

सिविल कोर्ट जौनपुर

28 JUN 2012

जौनपुर

न्यासी

Registration No.: 84 Year : 2,013 Book No. : 4

0101 उषा सिंह

राजबहादुर सिंह

नरौली पर0 हवेली तह0 सदर जि0 जौनपुर

गृहिणी

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सुरेश सिंह यादव
उपकोषाधिकारी कोषागार
जौनपुर

BB 200924

कर्मठ, योग्य तथा न्यास व संस्था के प्रति निष्ठावान व अपने पद पर प्रधान न्यासी नामित कर दे। इस नियुक्ति को किसी भी स्तर पर कोई भी चुनौती देने की शक्ति नहीं रखेगा। यदि प्रधान न्यासी अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी प्रधान न्यासी नामित नहीं कर सकता है अथवा उत्तराधिकारी नामित करने में असमर्थ हो जाता है तो न्यासीगण न्यासी के पुत्रों में से सुयोग्य एवं कर्मठ ट्रस्ट के प्रति निष्ठावान पुत्र को ही बहुमत के आधार पर प्रधान न्यासी नामित करेंगे या प्रधान न्यासी चुनेंगे। अन्य सहायक न्यासीगण की मृत्यु होने पर क्रमशः उनकी पत्नी अथवा उनके पुत्र न्यासी बनेंगे।

11. यह कि प्रधान न्यासी को किसी भी सहायक न्यासी को बिना कारण बताये हटाने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है व भविष्य में रहेगा।

12. यह कि किसी भी प्रकार न्यासी का स्थान रिक्त होने पर प्रधान न्यासी द्वारा रिक्त स्थान भरा जायेगा अथवा प्रधान न्यासी की इच्छा व अनुदेशों का आदर करते हुए रिक्त स्थान भरा जायेगा।

13. यह कि इस न्यास (ट्रस्ट) का विवाद न्यायालय में या अन्यत्र नहीं जायेगा। यदि भविष्य में कोई सहायक न्यासी या सदस्य किसी विवाद को न्यायालय में अन्यत्र दाखिल करेगा तो उस न्यासी या सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी। न्यास के सम्बन्ध में विवाद

क्र० 3307 दिनांक 13/6/12 ... 100
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...
नाम ... पुत्र/पत्नी ...
ग्राम ... परगना ... तहसील
... 3304 जिला ...

राजनाथ सिंह
राजनाथ सिंह
ला० नं०—53
ला० की अवधि
रजिस्ट्री आफिस के सामने
...

वरिष्ठ कोषाधिकारी
28 JUN 2012
जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक
एक सौ रुपये Rs. 100
रू. 100 ONE HUNDRED RUPEES
सत्यमेव जयते
भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
सुरेश सिंह यादव
उपकोषाधिकारी कोषागार
जौनपुर
BB 200925

होने पर प्रधान न्यासी का निर्णय ही अन्तिम निर्णय होगा।

14. यह कि न्यास को समपूर्ण भारत में कहीं भी कोई अन्य चल अचल सम्पत्ति अर्जित करने अथवा प्राप्त करने और रखने व धारण करने का अधिकार होगा और वह कुल सम्पत्ति इस न्यास की रहेगी अथवा न्यास द्वारा संचालित किसी संस्था के नाम रहेगी। न्यासी सम्पत्ति का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जायेगा और इसकी कोई चल-अचल सम्पत्ति को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्था के अतिरक्त किसी अन्य को स्थायी रूप से स्थानान्तरित करने का किसी को कोई अधिकार नहीं रहेगा।

15. यह कि किसी प्रकार का कोई दान, चन्दा, सहायता अनुदान या अभिदान किसी व्यक्ति संस्था राज्य के द्वारा कोई सम्पत्ति या धन इस न्यास के लिए प्राप्त होगी, वह इस न्यास के नाम या इसके द्वारा संचालित संस्थाओं के नाम रहेगी।

16. यह कि इस न्यास या इस न्यास द्वारा संचालित संस्था का वित्तीय एवं आर्थिक प्रबन्धन और प्रशासन इस न्यास अथवा इसके द्वारा संचालित संस्था के हित में इसके नाम से सदैव सुचारू रूप से होता रहेगा, जिसकी व्यवस्था प्रधान न्यासी, न्यासी मण्डल की ओर से करेगा और उसके लिए आवश्यक कोर्स व उसके रख-रखाव की व्यवस्था किसी बैंक, डाकखाना, वित्तीय संस्था आदि में उसके जमा व लाभदायी निवेश आदि की व्यवस्था भी उसी प्रकार

3308 ...... 13/5/13 100

... करने का प्रयोजन ......

...... पुत्र, पत्नी ......

...... तहसील

...... परगना ......

... 3304 ... जिला ......

राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला० नं०—52

ला० की अवधि ....

रजिस्ट्री आफिस के सामने

[illegible]

28 JUN 2012

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BB 200926

सुरेश सिंह यादव
उपरोकड़िया कोषागार
जौनपुर

होती रहेगी, जिनका संचालन सामान्यतः प्रधान न्यासी व प्रथम न्यासी के द्वारा या उसके निर्देशानुसार होता रहेगा। न्यास द्वारा संचालित सभी संस्थाओं के कोष का संचालन न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी द्वारा किया जायेगा।

17. यह कि इस न्यास की सभी आय-व्यय का नियमानुसार लेखा-जोखा निरन्तर रखा जायेगा और समय-समय पर उचित एवं सक्षम व्यक्ति अथवा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या उसकी फर्म या संस्था के द्वारा उनका सम्परीक्षण कराया जायेगा।

18. यह कि किसी कर्मचारी या अनुबन्धित व्यक्ति या इस न्यास से सम्बन्धित किसी कार्य कलाप के प्रभारी व्यवस्थापक या प्रबन्धक के पद नाम कार्य, कर्तव्य, दायित्व, कार्यविधि आदि की भी व्यवस्था उपरोक्तानुसार न्यासी मण्डल अपने प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी के द्वारा करता रहेगा और उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा पद के दुरूपयोग या कार्य शिथिलता या कार्य उदासीनता या कार्याभाव आदि की दशा में उसके विरूद्ध तत्काल उचित कार्यवाही करने काकक अधिकार भी प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी में निहित होगा।

19. **न्यास का उद्देश्य-**

(1) यह कि इस न्यास का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों अथवा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्राइमरी, प्राथमिक, हाई स्कूल, माध्यमिक (इण्टरमीडिएट) के विभिन्न बोर्ड जैसे-

क्रमांक 3304 दिनांक 13/6/13 स्टाम्प का मूल्य 100

नाम व पता, स्टाम्प क्रेता का प्रयोजन ...

पिता ... पुत्र, पत्नी ...

निवासी ... परगना ... तहसील

क्रम 3304 जिला ...

राजनाथ सिंह

राजनाथ सिंह

ला० नं०—

ला० की अवधि

रजिस्ट्री कार्यालय के पास

सिविल कोर्ट

वरिष्ठ कोषाधिकारी

20 JUN 2012

जौनपुर

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AC 902759

(सी०बी०एस०सी०, उ०प्र० बोर्ड, आई०सी०एस०ई०) की स्थापना करना एवं प्रशिक्षण संस्थान, बी०टी०सी०/एन०टी०सी०, बी०एड० व एम०एड० प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा पालिटेक्निक कालेज व इन्जीनियरिंग कालेज एवं मेडिकल कालेज एवं प्रबन्धन एवं पैरामेडिकल कालेज, हास्टल की स्थापना करना है। गरीबों एवं असहायों की सहायता करना भी इस न्यास का उद्देश्य है।

यह कि न्यास का इस समय शिक्षण संस्था (विद्यालय) सी०बी०एस०ई० बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त कर बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना जो निम्न हैं:-

The Restirction for C.B.S.E. Norms as follows :-

1. The Registered society of the school will be renewed from time to time.
2. The School management committee should be non nominated one member appoint.
3. The school will have 10% reservation for the Brilliant students belonging to Sc./St. and they will not charged more than the fees set by the U.P. Madhyamik Shiksha Parishad/Basic Shiksha Parishad.
4. The School will not ask for any grants from the State Government and if the School is already affiliated to

Singh

[illegible] 33011 दिनांक 13/6/12 [illegible] 60

[illegible] क्रय करने का प्रयोजन ......

[illegible] ...... पुत्र, पत्नी ...... तहसील

[illegible] ...... परगना ......

[illegible] 3304 जिला ......

2/Jun/12 [illegible]

राजबीर सिंह

ला० नं०—58

ला० की अवधि ......

रजिस्ट्री आफिस के सामने

सिविल कोर्ट कोषा...

Senior Treasury Officer

12 JUN 2012

Jaunpur

Madhyamik Shiksha Parishad & In the event of the school getting its affiliation from the Central Board for Secondry Education, New Delhi/ Council of Indian Certificate Examination, New Delhi, all previous affiliations of grants being enjoyed by the school shall satnd annualed & cancelled from the date of such affiliation.

5. The school's teaching and non teaching staff will avail salary and wages not below the norms set by the institutions funded by the State Government.
6. The services rules and retirement benefits of the staff will be set as per norms of Non-Govt./aided senior Secondry Schools.
7. The order issued by the state Government from time to time will be followed by the School.
8. The School will maintain records & registeres as per the prescribed & aproved formats.
9. There will be no amendment/rectification/extension of the above mentioned condotion without the prior consent to the State Government.

उक्त शिक्षण संस्थाओं, शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा पालिटेक्निक कालेज व इन्जीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, प्रबन्धन एवं कम्प्यूटर शिक्षण संस्थान तथा मुस्लिम बच्चों को शिक्षित करने के लिए मदरसों की स्थापना करना, अनाथ बच्चों को रहने व शिक्षा ग्रहण करने के लिए अनाथालय का संचालन करना। मेडिकल कालेजों की स्थापना करना, शिक्षण संस्थापना करने हेतु सम्बन्धित बोर्ड, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, अखिल भारतीय प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा परिषद एवं सम्बन्धित विभिन्न परिषदों तथा राज्य सरकार आदि से मान्यता प्राप्त करने का कार्य न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी अथवा प्रथम न्यासी करेगा।

(2) बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के विद्यालय की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में शिक्षा के स्तर का विकास करने के लिए विद्यालय तथा महाविद्यालय की स्थापना करना एवं संचालन करना।

(3) नवीन शिक्षा प्रणाली के तहत सभी विषयों एवं भाषाओ का ज्ञान कराना। बालक

Singh

बालिकाओं को कम्प्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं कालेज की स्थापना एवं संचालन करना। समाज कल्याण व सांस्कृतिक विभाग, ललित कला एकेडमी, नाट्य एकेडमी द्वारा केन्द्रीय व राज्य सरकार, समाज कल्याण, सलाहकार बोर्ड, सिफ्सा, कपार्ट, नाबार्ड, जिला ग्राम्य विभाग, नेडा, डूडा, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा संचालित बाल एवं महिला कल्याण कार्यक्रमों का भागीदारी करना।

(4) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिए चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम की स्थापना करना। परिवार कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का आयोजन कर जन्म दर एवं मृत्यु दर को कम करने का प्रयास करना। स्वास्थ्य के स्तर को उठाने के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिविरों एवं संगोष्ठी का आयोजन करना।

(5) रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केन्द्रों की निःशुल्क स्थापना करना, समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं संगीत विद्यालय की स्थापना करना।

(6) समाज में खेल भावना एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करते हुए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता एवं प्रदूषण से होने वाले नुकसान पर प्रदर्शनी, शिविर का आयोजन एवं वृक्षा रोपण करना।

(7) कुष्ठ रोगों का निवारण एवं रोगियों हेतु आश्रम की स्थापना कर उन्हें आत्मनिर्भर करना। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों का संचालन करना। समस्त समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा एवं ग्राम्य सेवा का कार्य करना। क्षेत्र के समग्र विकास के परिपेक्ष्य में खादी ग्रामोद्योग आयोग, बोर्ड द्वारा स्वीकृत हस्त निर्मित प्रवृत्तियों के अनुसार मुख्यतः खादी ग्रामोद्योग की गतिविधियों को अपनाना।

(8) पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम के अनुसार उनकी सहायता करना एवं उन्हें निःशुल्क मार्गदर्शन देना।

(9) चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधा प्रदान कर लोगों को विभिन्न भयंकर बीमारियॉ जैसे कैंसर, तपेदिक, मलेरिया, मोतियाविन्द, एड्स, पल्स पोलियो टीकाकरण तथा हेपेटाइटिसजैसे

Singh

भयंकर बीमारियों के बारे में लोगों को जानकारी देना। महिलाओं के विकास के लिए सिलाई, कढ़ाई, कटाई, पेन्टिंग, काष्ठ कला, चित्रकला, आदि के शिक्षण एवं हस्त शिल्प के शिक्षण, प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा गरीब, विकलांग, दृष्टिहीन एवं मूक बधिर एवं प्रतिभावान छात्र - छात्राओं को तकनीकी शिक्षा दिलाना।

(10) मद्य निषेध, नशा उन्मूलन के प्रति जागरूकता लाना एवं उनके पुनर्वास एवं रोकथाम के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना। बालश्रम के प्रति जागरूकता उत्पन्न करके बालकों को शिक्षित करना तथा उन्हें स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना। स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पेय जल एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम करना। गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम करना।

(11) ग्रामीण विकास के लिए गाँव की सड़के, नाली, ग्रामीण शौचालय, पेयजल, बिजली आदि की व्यवस्था करने का प्रयास करना। दैवी आपदाओं के समय जनता की हर सम्भव मदद करना, कन्याओं की भ्रूण हत्या रोकने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना। यह संस्था निःशुल्क/ समान्य शुल्क पर विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों द्वारा औषधियों का उत्पादन करके प्रचार-प्रसार उपयोग और वितरण के प्रति जागृति पैदा करने का कार्य करेगी।

(12) हस्त शिल्प (हैण्डीक्राफ्ट) के विभाग से समस्त कार्यक्रमों में सहभागिता करना, जनसंख्या की बढ़ती हुई गति को कम एवं नियमित करने हेतु सरकारी, गैर सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना।

(13) सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, नशा उन्मूलन, तथा दहेज प्रथा, धुम्रपान, जुआ, नशीली दवाओं का प्रयोग आदि के साथ-साथ समाज में फैले अंधविश्वास, छूआछूत आदि रीति-रिवाजों को दूर करना,पशु पालन, मत्स्य पालन, ईमू पालन के बारे में लोगों को अवगत कराना एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(14) स्वयं सहायता समूह का गठन कराना, तथा असहाय निर्धन महिला श्रमिको को तथा विधवा महिलाओं के कल्याणार्थ कार्य करना एवं शहरी ग्रामीण उपभोक्ताओं में जागरूकता एवं उनके हक-अधिकार को चिकित्सा पद्धति में उपयोग होने वाले औषधियों एवं यंत्रों का

Vsingh

(**Research Development Implement**) और उपयोग करना।

(15) व्यायामशाला, मनोरंजन केन्द्र, क्रीड़ा स्थल आदि जो शारीरिक शिक्षा के लिए आश्यक है है, उसकी व्यवस्था करना।

20. यह कि इस न्यास की सभी संस्थाओं व कार्ययोजनाओं एवं कार्यकलापों से सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति सेवा शर्तें, सेवा समाप्ति, विस्तार, सेवा मुक्ति, पदावनति, निलम्बन तथा पदोन्नति आदि कार्य का सभी कार्य न्यासी मण्डल की ओर से प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी में निहित होगा, जिसका उपयोग प्रधान न्यासी एवं प्रथम न्यासी उपरोक्त उद्देश्यों एवं विषयों को ध्यान में रखकर इस न्यास व संस्था के हित में निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेदभाव या द्वेष भाव से विरत रहकर इस न्यास व संस्था के हित में निष्पक्ष रूप से किसी अनुचित भेदभाव या द्वेष भाव से विरत रहकर करेगा और आवश्यकतानुसार उससे बाध्यकारी विधि करेंगे और विधि के अनुसार यदि आवश्यक होगा तो उसके लिए उचित प्रशासन योजना आदि की व्यवस्था भी अन्य न्यासीगण के सहयोग एवं परामर्श से करेंगे।

21. यह कि इस न्यास के उपरोक्त उद्देश्यों एवं कार्यों के लिए जो भी कार्य होगा, उसके लिए यदि प्रधान न्यासी आवश्यक समझे तो उसकी उप-समिति गठित कर सकता है। उप समिति को नियुक्त करने व पदमुक्त करने का अधिकार प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) को होगा।

22. यह कि न्यास की बैठक की कार्यवाही आदि करने हेतु न्यासियों में से कम से कम एक तिहाई न्यासियों की उपस्थिति आवश्यक होगी और उसमें प्रधान न्यासी अर्थात् न्यासीकर्ता की उपस्थिति एवं स्वीकृति आवश्यक होगी। न्यासी मण्डल के किसी मतभेद की अवस्था में बहुमत के आधार पर आवांछित रूप से किये हुए किसी प्रस्ताव व विनिश्चय पर प्रधान न्यासी को उस मतभेद का विवेकानुसार समाधान करने एवं उस विनिश्चय एवं प्रस्ताव को निरस्त करके उस स्थान पर अपना निर्देश अपने विवेकानुसार देने का अधिकार होगा।

23. नवीन शिक्षा प्रणाली के तहत सभी विषयों एवं भाषाओं का ज्ञान कराना, बालक-बालिकाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिलाना आदि।

24. यह कि पूर्वांचल ग्रुप्स ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक नियमावली

Singh

बनाने तथा उसमें समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने का अधिकार न्यासी मण्डल को रहेगा। किन्तु इस सन्दर्भ में अन्तिम निर्णय का अधिकार प्रधान न्यासी (अध्यक्ष) को होगा।

25. **न्यास की सम्पत्ति**- यह कि प्रधान न्यासी श्रीमती उषा सिंह पुत्री राज बहादुर सिंह द्वारा दिया गया 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) पूर्वांचल ग्रुप्स ऑफ एजूकेशनल ट्रस्ट मे निहित किया गया है।

26. यह कि इस न्यास के सभी न्यासियों ने स्वेच्छा से न्यासी होना स्वीकार किया है।

अतः मैंने यह न्यास अभिलेख सहर्ष स्वेच्छानुसार स्वतन्त्र विचार से शारीरिक व मानसिक रूप से बिना किसी जोर दबाव-प्रभाव नाजायज के यह ट्रस्ट डीड (न्यास परिपत्र) लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे।

मसविदाकर्ता- अशोक कुमार

टाइपकर्ता- धर्मेन्द्र कुमार बलुआघाट, जौनपुर।

दिनांक 13.5.2013

USingh
अध्यासिका
13/05/2013

USingh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सुरेश सिंह यादव
उपरोकड़िया कोषागार
जौनपुर

BK 616716

टाइपकर्ता – धर्मेन्द्र कुमार बलुआ घाट जौनपुर

अभिवेदाकर्ता – अशोक कुमार

Umesh

सत्येन्द्र कुमार सिंह
S/o स्व० राम मगन सिंह
सा० मौ० पारमापुर
जौनपुर

सुभाष चन्द्र यादव
S/o स्व सीताराम यादव
मीरापुर नरौली
जौनपुर

SENIOR TREASURY OFFICER
9 MAY 2013
JAUNPUR

आज दिनांक **13/05/2013** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **76**

पृष्ठ सं. **393** से **418** पर कमांक **84**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह)

उप निबन्धक (सदर)

जौनपुर

13/5/2013